दूरभाष/Telephone-2223251
~~2225~~766, 2224812

फैक्स / Fax – 0612-2221056
तार / Tele- Gram: ACCOUNTS

सत्यमेव जयते

महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

का०आ०सं०- डब्लू०एम०- II/ Misc./2023-24/67
दिनांक- 05/ 09/ 2023

कार्यालय आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-12/अ0 प्र0-50-01/2020-3114 अनु0 पटना/ दिनांक -13.06.2023 के आलोक मे बिहार राज्य संवर्ग के प्रमंडलीय लेखाकार/ प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने -अपने कार्य प्रमंडलों मे बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करे।

अनु०- यथोपरि।

05-09-23

उप महालेखाकार (कार्य)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Wm-II Open 148(2024)
21/6/23

126

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– 12/अ0प्र0–50–01/2020 3114 अ-110 पटना/दिनांक– 13/6/23

प्रेषक,

शत्रुंजय कुमार मिश्र
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0एवंह0) का कार्यालय,
बिहार, पटना।

विषयः– प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने से मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक WM-II/2022-23/Asso-II/1095 दिनांक 30.06.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में कहना है कि गृह विभाग (विशेष शाखा) का पत्रांक 8926 दिनांक 12.08.2022 (संलग्न) के द्वारा सभी विभागों/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मियों को दिनांक 29.08.2022 से बायोमेट्रिक के माध्यम से शत्–प्रतिशत उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य किया गया है। जहाँ तक भवदीय पत्र में अतिरिक्त कार्यालय प्रभार अथवा कार्य प्रकृति के कारण उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से मुक्ति का बिंदु उठाया गया है, इन सभी परिस्थितियों का निवारण गृह विभाग के निदेश पत्र में है और इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार के सभी स्तर के पदाधिकारी/कर्मी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 15498 दिनांक 01.09.2022 एवं पत्रांक 16458 दिनांक 12.09.2022 (संलग्न) में निहित प्रावधानों के अनुरुप सभी कार्य दिवस में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज किया जाना है। तदानुसार दैनिक उपस्थिति पंजी के स्थान पर बायोमेट्रिक उपस्थिति की मासिक विवरणी के आधार पर ही पदाधिकारी/कर्मचारियों का वेतन/मानदेय का भुगतान किया जाना निदेशित है।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में विभाग के अधीनस्थ कार्यप्रमंडलों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

12/6/23
(शत्रुंजय कुमार मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

WM-II
14.06.23

G.K
20.06.23

922806
19.06.23

14 JUN 2023

538